संख्या-11/2022/2115939/2022/श्रम-2

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 31 मई, 2022**

विषय : मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना (एकीकृत) की स्वीकृति का प्रतिनिधायन जनपदीय सहायक श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-842-43/भ0नि0बो0-(877)-2022, दिनांक 13-05-2022 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बोर्ड की 52वीं बैठक दिनांक 28-04-2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-19 में मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना (एकीकृत) की स्वीकृति का प्रतिनिधायन जनपदीय सहायक श्रम आयुक्तों को प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किये जाने के क्रम में प्रश्नगत योजना की स्वीकृति का प्रतिनिधायन जनपदीय सहायक श्रमायुक्तों को प्रदान किये जाने के संबंध में अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

2- सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत योजना के संचालन में बोर्ड, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 का अनुपालन पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित में पूर्णत: सुनिश्चित करायेगा, साथ ही उक्त योजना, जो जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित है, का अनुपालन जनपदीय सहायक श्रमायुक्तों से पूर्णत: सुनिश्चित कराया जायेगा और इस हेतु वर्तमान तथा भविष्य में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-11/2022/2115939(1)/2022/श्रम-2, तददिनांक,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चिरौंजी लाल

उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।